न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 38 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 मदन पुत्र भूराराम (विक्रेता) मैसर्स भवानी किराणा स्टोर, मैन बाजार, सादड़ी जिला पाली 2 भुराराम प्रजापत (मालिक) मैसर्स भवानी किराणा स्टोर, मैन बाजार, सादड़ी जिला पाली 3 सेसाराम प्रजापत (मालिक) मैसर्स विक्रम ट्रेडिंग कम्पनी, सुहारों का बास, सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 3

–: निर्णय :–

दिनांक 25/9/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 22.10.2016 को दौराने गस्त मैसर्स भवानी किराणा स्टोर, सादड़ी से अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में वहां बिक्री हेतु रखे हुए चाय (विक्रम ब्राण्ड) में मिलावट का शक हुआ, इस पर चाय (विक्रम ब्राण्ड) 500 ग्राम के चार पैकेट को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा चाय (विक्रम ब्राण्ड) को चार भागों के विभक्त कर व लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर R-585 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द सामग्री खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया चाय (विक्रम ब्राण्ड) को Misbranded under section 3(1) (zf)(c)(i) of Food Sefety and Standards Act-2006 का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा चाय (विक्रम ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उनके द्वारा मानक स्तरीय चाय का विक्रय किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

नहीं की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा चार को क्रय करके ही बेचा जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.2016 को अप्रार्थी की फर्म से चाय (विक्रम ब्राण्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या R-585 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1270/एक्ट/2016/114 दिनांक 08.02.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या NWR-205 को Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Sefety and Standards Act-2006 माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा सामग्री किस स्थान से क्रय की गई, इस बाबत अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गयां इस कारण अप्रार्थी ही विधि विरूद्ध रूप से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) के तहत Misbranded की पाई जाने से इसी अधिनियम की धारा 52 के अधीन शास्ती योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded स्तरीय चाय (विक्रम ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 54 के तहत अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली